

17.05.17

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर उपस्थित।

आरोपी कृष्णा की ओर से अधि. श्री हृदेश शुक्ला उपस्थित।

उभयपक्ष को आरोपी कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दफ़्तर पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस आदेश द्वारा उक्त आवेदनपत्र का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त कृष्णा की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि आवेदक नवयुवक होकर शांतिप्रिय व्यक्ति है उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे अकारण ही प्रकरण में आलिप्त कर दिया गया है। सह आरोपी नाथूसिंह, गब्बर सिंह एवं दाताराम की जमानत हो चुकी है। अतः आवेदक/आरोपी को भी जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अव्यस्क मनीषा के व्यपहरण कर उसके साथ बलात्संग कारित करने का आरोप है। मनीषा की जन्मतिथि 08.06.2002 दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र दिनांक 17.04.17 को बल न देने के कारण निरस्त कर दिया गया है। जहां तक सह आरोपीगण को दी गयी जमानत का प्रश्न है। फरियादिया ने सह आरोपीगण के उपर उसे उसके साथ बलात्संग करने के आरोप नहीं लगाये हैं। जबकि आवेदक/अभियुक्त पर गंभीर आरोप हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त का मामला जमानत पाए जाने सह आरोपीगण के समान नहीं है। जहां तक आवेदक/अभियुक्त की ओर से लिए गये इन तर्कों की अभियोक्त्री के धारा 164 सीआरपीसी एवं धारा 161 सीआरपीसी के कथनों में विरोधाभास है। यह गुणदोष का विषय है।

अतः प्रकरण की इस स्टेज पर आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अपराध के स्वरूप एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप पर तर्क हेतु दिनांक 02.06.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद